



# राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण— सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, निकट यूपी० 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226010

E-mail:nulmup@gmail.com

website:www.sudaup.org

पत्रांक—३४७८/२४१/NULM/तीन/2001(SUH)SC-Vol-III

दिनांक—/८/०९/२०१८

मा० उच्चतम न्यायालय प्रकरण/अति महत्वपूर्ण



सेवा में,

## 1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद— इलाहाबाद

## 2. नगर आयुक्त

नगर निगम  
इलाहाबाद

## 3. अधिशासी अधिकारी, न०पा०प०/न०पं

भरतगंज, हण्डिया, झूसी, लाल गोपालगंज,  
मऊ आइमा

**विषय:**—रिट याचिका सं०— ५५/२००३ एवं सम्बद्ध रिट याचिका सं०— ५७२/२००३ ई०आ० कुमार व  
अन्य बनाम भारत गणराज्य व अन्य में पारित अन्तर्रिम आदेशों के अनुपालन में थर्ड पार्टी  
सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०— १८६३/२४१/NULM/तीन/2001  
(SUH)SLMC दिनांक— ०७.०७.२०१८ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शहरी  
बेघरों के कराये गये थर्ड पार्टी सर्वेक्षण की प्राप्त अन्तर्रिम आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की  
गई है कि थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या के अनुक्रम में शहर में उपलब्ध  
आश्रय गृहों की क्षमता को घटाते हुए शेष शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि का  
चिन्हीकरण कर सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम के माध्यम से डी०पी०आ० तैयार कराकर  
तत्काल उपलब्ध करायी जाय, जो अद्यतन अप्राप्त है।

2. थर्ड पार्टी सर्वेक्षण (गिरी) में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या एवं तत्क्रम में शहर/जनपद से  
प्राप्त शेल्टर होम की उपलब्धता की आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत है:—

निकाय नाम	थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या	उपलब्ध आश्रय गृह एवं क्षमता				उपलब्ध कुल क्षमता	गैप	बेघरों की सं० जिसके लिए शेल्टर बनाया जाना है	शेल्टर की आवश्यकता (५० की क्षमता तक)				
		NON DAY-NULM		DAY-NULM									
		शेल्टर्स	क्षमता	शेल्टर्स	क्षमता								
इलाहाबाद नगर निगम	1048	5	129	7	408	537	511	525	11				

3. थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु उपरोक्त तालिका में उल्लिखित NON DAY-NULM शेल्टर्स की क्षमता का पुनः सत्यापन शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा कतिपय शहरों में शेल्टर होम के भ्रमण में मानकों के अनुरूप क्षमता नहीं पायी गयी है।


4. शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में शेल्टर्स निर्माण/उच्चीकरण हेतु भूमि/भवन (५०० वर्गमीटर भूमि ५० व्यक्तियों की क्षमता वाले शेल्टर होम के निर्माण/ ८०० वर्गमीटर भूमि १०० व्यक्तियों की क्षमता वाले शेल्टर होम के निर्माण हेतु) का चिन्हीकरण कराते हुए सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम के माध्यम से डी०पी०आ० तैयार कराकर शीघ्र अति शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

5. उल्लेखनीय है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत दिनांक ०७.०९.२०१८ को प्रकरण में सुनवाई करते हुए शहर में रह रहे सभी बेघरों को आश्रय न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल रोड मैप प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसके अनुसार राज्य स्तर से संकलित शहरवार रोड मैप १५ अक्टूबर २०१८ तक मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना है।

6. थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में तालिका में उल्लिखित निकायों के अतिरिक्त नगरीय निकाय भरतगंज में 03, हण्डिया में 11, झूसी में 11, लाल गोपालगंज में 2 एवं मऊ आइमा में 1 शहरी बेघर पाये गये हैं, जिनके आश्रय की व्यवस्था निकाय द्वारा शहर में उपलब्ध सामुदायिक केन्द्र/अन्य अनुपयोगी सरकारी भवनों में अपने संसाधनों के माध्यम से व्यवस्था की जानी है तथा की जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत सूचना/अस्थायी आश्रय गृहों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

अतः मा० ० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक ०७.०९.२०१८ के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित तालिका में अंकित शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु NON DAY-NULM की उपलब्धता का पुनः सत्यापन मानकों के अनुसार कराकर सत्यापित गैप के अनुसार शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने के लिए शेल्टर्स निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का तत्काल चिन्हीकरण कराकर शहर/निकायवार रोड मैप संलग्न प्रारूप में तैयार कराकर प्रत्येक दशा में दिनांक ३० सितम्बर २०१८ तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं चिन्हित भूमि के अभिलेख तत्काल सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम को डी०पी०आ०० तैयार कराने (चिन्हित भूमि की सूचना भी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने) हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय  
  
 (उमेश प्रताप सिंह)  
 मिशन निदेशक

**प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—**

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक DAY-NULM आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सी०पी०ओ०/परियोजना निदेशक, डूडा इलाहाबाद।
5. निदेशक सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक को शहरों/जनपदों से सम्पर्क कर डी०पी०आ०० तैयार किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. परियोजना अधिकारी, डूडा इलाहाबाद को समन्वय कर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
7. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)  
 मिशन निदेशक